

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936

No. 252]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

सा.का.नि.325(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, 'रंजक और रंजक माध्यमिक उद्योग' से संबंधित क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :--

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर		मानक		
(1)	(2)	(3)		(4)	New York	
"8	रंजक और रंजक माध्यमिक उद्योग	,				
		1	जब तक अन्यथ मिलिग्राम/सामान्य घ रहेगी	ा न कहा गया हो, यनमीटर (मि.ग्रा./नार्मल घ		
		सल्फर के आक्साइड (SO _X)		200		
		HCl (अम्ल मिस्ट)		35		
		अमोनिया (NH 3)		30		
		क्लोरिन(Cl ₂)	15			
	2	टिप्पण : सभी क्रियाविधि के वातिछिद्र, ज	हां उपस्कर को स्थापित रि	केया गया है, उस शेड या	भवन के ऊपर कम से	
	M .	िटप्पण: सभी क्रियाविधि के वातिछिद्र, ज कम दो मीटर से अधिक ऊँचाई की चिमनी		₩	भवन के ऊपर कम से	
			रखेंगे । ख. बहिःस्त्राय मानव	5 ाम/लीटर (मि.ग्रा./ली.) में,		
			ख. बहिःस्त्राय मानव सांद्रण सीमा मिलिग्र	5 ाम/लीटर (मि.ग्रा./ली.) में,	पी.एच., तापमान, रंग	
		कम दो मीटर से अधिक ऊँचाई की चिमनी	ख. बहिःस्त्राय मानव सांद्रण सीमा मिलिग्र और बायोएरसे परीक्ष	5 ाम/लीटर (मि.ग्रा./ली.) में, ाण के सिवाय सामुद्रिक जल में	पी.एच., तापमान, रंग भूमि पर सिंचाई के	

जैव रसायन आक्सीजन मांगBOD (3 दिन, 27°C)	30	100	100
रसायन आक्सीजन मांग (COD)	250	250	
N के रूप में अमोनिकल नाइट्रोजन	50	50	-
तापमान	प्रापक जल के तापमा नह		
रंग (हैजेन यूनिट)	400		
पारा (Hg)	0.01	0.01	-
हेक्सावेलेंट क्रोमियम (Cr ⁺⁶)	0.1	1.0	-
कुल क्रोमियम (Cr)	2.0	2.0	T
तांबा (Cu)	2.0	3.0	
जस्ता (Zn)	5.0	15.0	201
निकिल (Ni)	3.0	5.0	7.0
सीसा (Pb)	0.1	2.0	(0 101 0)
मैंगनीज (Mn)	2.0	2.0	- 10 - 12-x
कैडमियम (Cd)	0.2	2.0	\ <u> 400.</u> \
क्लोराइड (Cl')	1000		
सल्फेट (SO ₄ ²)	1000	-	1557
C ₆ H ₅ OH के रूप में फिनौलिक यौगिक	1.0	5.0	
तेल और ग्रीस	10.0	10.0	
बायोएस्से परीक्षण (बहिःस्राव की तनुता 1 : 8 के साथ)	100% बहिःस्राव में 96 घंटे* के पश्चात् 90% जीव अवशेष		9 87733 1

* बायोएस्के परीक्षण आई. एस. : 6582 : 1971 के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

टिप्पण:

- (i) उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या सी.ई.टी.पी. के माध्यम से बिहःस्राव के भूमि पर बहाव (निपटान) की दशा में, दाबमापियों को बैठाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, यथास्थिति, उद्योग या सी.ई.टी.पी. से सतही जल की गति की मानिटरी के लिए दाबमापी लगाना आवश्यक होगा । दस हेक्टेयर से बड़े आकार के प्लाट के लिए प्रति तीन हेक्टेयर के कम से कम दो दाबमापी सिहत न्यूनतम सोलह दाबमापी लगाए जाएंगे । दस हेक्टेयर से छोटे आकार के प्लाट के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए एक दाबमापी सहित न्यूनतम छह दाबमापी लगाए जाएंगे ।
- (ii) शोधित बहिःस्राव के अंतर्देशीय सतही जल गति के बहाव पर केवल क्लोराइड और सल्फेट के मानक लागू होंगे । तथापि, भूमि पर सिंचाई के लिए बहिःस्राव के बहाव (निपटान) पर मानक के रूप में क्लोराइड की सान्द्रता सीमा कच्चे जल में क्लोराइड की सान्द्रता सीमा कच्चे जल में क्लोराइड की सान्द्रता 600 मिलिग्राम/ लीटर से अधिक नहीं होगी और सोडियम अवशोषण की सीमा (SAR) 26 से अधिक नहीं होगी ।
- (iii) शोधित या अशोधित बहिःस्राव का टंकियों में ऐसी रीति से भंडारण किया जाएगा जिससे भू-जल का प्रदूषण कारित न हो ।

ग. भस्मीकरण	आकृष्ट संयंत्र के लिए उत्सर्जन मा	नक
	जब तक अन्यथा कहा न गया हो, सांद्रण सीमा को मिलिग्राम/ सामान्य घनमीटर तक सीमित रहेगी	
विवक्त पदार्थ	50	30 या अधिक (300 लीटर के उत्सर्जन की सैंपलिंग के लिए)
HCl (अम्ल मिस्ट)	50	30
SO ₂	200	30
कार्बन मोनोआक्साइड	100	दैनिक औसत
कुल जैविक कार्बन	20	30
कुल डायक्सीन्स और फयूरान्स	0.1 ng TEQ/सामान्य घनमीटर	8 घंटे
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cú+ Mn+Ni+V+Cd+Th+Hg और उनके यौगिक	1.5	2 घंटे

टिप्पण:

- i. सभी मानीटर किए गए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए I
- ii. उत्सर्जित गैस में कार्बन डाईआक्साइड की सान्द्रणता 7% से कम नहीं होगी ।
- iii. निवेश अपशिष्ट की स्थिति में हेलोजिनेटेड कार्बनिक अपशिष्ट वजन में 1% से कम हो तो,
 टि्वन चैम्बर भरमीकरण संयंत्र (अर्थात् कम्बशन चैम्बर) में सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया
 जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850 ±25°C और सेकेंडरी कम्बशन चैम्बर में 950°C का न्यूनतम तापमान
 बनाया जा सके जिसके साथ सेकेंडरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा।

एकल चैम्बर भरमीकरण संयंत्र में गैसीय संकटमय अपशिष्ट हेतु सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा तािक कम्बशन चैम्बर में 950°C का न्यूनतम तापमान बनाया जा सके जिसके साथ गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा ।

- iv. निवेश अपशिष्ट की स्थिति में हेलोजिनेटड कार्बनिक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक हो तो केवल टिवन चैम्बर भरमीकरण संयंत्र में अपशिष्ट का भरमीकरण किया जाएगा और सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850 ±25°C और सेकेंडरी कम्बशन चैम्बर में 1100°C का न्यूनतम तापमान बनाया जा सके जिसके साथ सेकेंडरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेन्ड से कम नहीं होगा।
- v. भरमीकरण संयंत्र के उत्सर्जन मानक के लिए जो मार्जक हैं, उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा ।
- vi. भस्मीकरण संयंत्र को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ प्रचालित किया जाएगा तािक अपशिष्ट और भस्मीकरण राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3% से कम हो और अपशिष्ट और राख की भस्मीकरण क्षय की मात्रा का शुष्क भार 5% से कम हो । गैर-अनुपालन के मामले में यथास्थिति राख और अपशिष्ट का दुबारा भस्मीकरण किया जाएगा ।
- vii. भरमीकरण संयंत्र के लिए चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी । घ. भरमीकरण संयंत्र के लिए बहिःस्त्राव मानक

टिप्पण:

- (i) मार्जक और तल धुलाई अपजल से उत्पन्न बहिःस्राव ढकी हुई नाली या पाइप नेटवर्क के माध्यम से बहाया जाएगा और इसका शोधन ऊपर 'ख' भाग में उल्लिखित बहिःस्राव मानकों के अनुरूप किया जाएगा ।
- (ii) तल धुलाई अपजल में कुल घुलित कणों (TDS) की मात्रा कच्चे जल में कुल घुलित कणों की मात्रा के ऊपर 1000 मिलिग्राम/लीटर से अधिक नहीं होगी ।

ड. वर्षा जल

टिप्पण:

- (i) वर्षा जल को मार्जक जल और/या तल धुलाई अपजल के साथ मिलने के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (ii) वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट (घंटे का औसत) की संग्रहण क्षमता के एच.डी.पी.ई. परंत वाले गढ्ढे के माध्यम से अलग नाली से बहाया जाएगा ।"।

[फा.सं. क्यू.-15017/14/2009-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266 (अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277 (अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ),तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ),तारीख 28 मार्च, 2014; और सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

- G.S.R. 325(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fourth Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 8 relating to 'Dye and Dye Intermediate Industry' and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter		Standard	
(1)	(2)	(3)		(4)	
"8	Dye and Dye		. Emission Standar	ds (Process)	
	Intermediate Industry		Limiting concentration in milligramme/Normal cubic metre (mg/Nm³), unless otherwise stated		ormal cubic metre
		Oxides of Sulphur (SO _x)	200		
		HCl (Acid Mist)	35		
		Ammonia (NH ₃)			
		Chlorine (Cl ₂)	(3.4.3)		
		Note: All process vents shall he building where equipme		tleast two metres above	the shed or .
		B. Effluent Standards			
		Limiting concentration not to exceed in milligramme/litre (mg except for pH, Temperature, Colour and Bioassay.			
			disposal in surface water	marine disposal	on land for irrigation
		pH	6.0 to 8.5	5.5 - 9.0	5.5 – 9.0
		Suspended Solids	100		200
		Biochemical Oxygen Demand - BOD (3 days, 27°C)	30	100	100
		Chemical Oxygen Demand (COD)	250	250	- 32
		Ammonical Nitrogen as N	50	50	
		Temperature		d 5°C above the ng water	-
		Colour (Hazen unit)	400		-
	William Library	Mercury (Hg)	0.01	0.01	
		Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	0.1	1.0	
		Total Chromium (Cr)	2.0	2.0	2
		Copper (Cu)	2.0	3.0	
	= 1-1 - 7	Zinc (Zn)	5.0	15.0	
		Nickel (Ni)	3.0	5.0	
		Lead (Pb)	0.1	2.0	•
		Manganese (Mn)	2.0	2.0	-
		Cadmium (Cd)	0.2	2.0	-
		Chloride (Cl ⁻)	1000		
	W 0	Sulphate(SO ₄ ² -)	1000		
		Phenolic Compounds as C ₆ H ₅ OH	1.0	5.0	

Oil & Grease	10.0	10.0	10.0
Bio-assay Test (with 1:8 dilution of effluents)	90% survival of Test animals after 96 hours* in 100% effluent	- -	

* The Bioassay test shall be conducted as per IS: 6582: 1971.

Note:

- (i) In case of disposal of effluent on land by industry directly or through a CETP, the industry or, CETP as the case may be, shall be required to install piezometers for monitoring of groundwater. Atleast, two piezometers for three hectares shall be installed for a plot size above 10 hectares with a minimum of 16 piezometers. It shall be one per hectare within a minimum of six piezometers for a plot of size smaller than 10 hectares, in consultation with the concerned State Pollution Control Board for siting of piezometers.
- (ii) The standards for Chloride and Sulphate shall be applicable only for discharge of treated effluent into inland surface water courses. However, when discharged on land for irrigation, the norms for Chloride shall not be more than 600 mg/l over and above the contents of raw water and the Sodium Absorption Ratio (SAR) shall not exceed 26.
- (iii) Treated /untreated effluent shall be stored in holding tank(s) in such a manner which would not cause pollution of groundwater.

C. 1	Emission Standards for Captive Inc	inerator
	Limiting concentration in mg/Nm ³ , unless otherwise stated	Sampling Duration in minutes unless otherwise stated
Paticulate Matter	50	30 or more (for sampling of 300 litres of emission)
HCI (Acid Mist)	50	30
SO ₂	200	30
Carbon Monoxide	100	daily average
Total Organic Carbon	20	30
Total Dioxins And Furans	0.1 ng TEQ/Nm ³	8 hours
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V+Cd+Th+Hg and their compounds	1.5	2 hours

Note:

- i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.
- ii. The CO2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.
- iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste,

all the facilities in twin chamber incinerator shall be designed so as to achieve a minimum temperature of $850 \pm 25^{\circ}$ C in primary chamber and 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

or

All the facilities in single chamber incinerator for gaseous hazardous waste shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 950 °C in the combustion chamber with a gas residence time not less than two seconds.

- iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of $850\pm25^{\circ}$ C in primary chamber and 1100° C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.
- v. Scrubber meant for scrubbing emissions from incinerator shall not be used as quencher.
- vi. Incineration plants shall be operated, (i.e., combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and the loss on ignition for ash and residue is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue, as the case may be shall be re-incinerated.

	vii. The incinerator shall have a chimney of at least thirty metres height.
	D. Effluent Standards for Incinerator
100	Note: (i) Effluent from scrubber (s) and floor washing shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mention at 'B' above.
2H-8185	(ii) The built up in Total Dissolved Soilds (TDS) in wastewater of floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.
	E. Stormwater
,	Note: (i) Stormwater shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings.
	(ii) Stormwater shall be channelized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall,".

[F. No. Q-15017/14/2009-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013, G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014, G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014 and G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014.